तारिख हुक्म	**हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज** **F.S.S.Act Case No.10/2024**	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामिलमें जारी हुए
12.9.2024	पत्रावली पेश हुई। आवेदक श्री दिलीप सिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही अनुपस्थित। प्रतिवादी किशोर पुत्र बदाराम जी बंजारा, जाति–बंजारा, निवासी– भाटवाडा, नांदिया, तहसील– पिण्ड़वाडा, जिला– सिरोही, खाद्य कारोबारकर्ता एवं विक्रेता, फर्म बंजारा मिनरल्स, आरासना रोड़, नांदिया, तहसील– पिण्ड़वाडा, जिला– सिरोही अनुपस्थित। आवेदक श्री दिलीप सिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा यह न्याय निर्णयन आवेदन प्रतिवादी के विरुद्ध आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 19.3.2023 को फर्म बंजारा मिनरल्स, आरासना रोड़, नांदिया, तहसील– पिण्ड़वाडा, जिला– सिरोही में प्रतिवादी किशोर पुत्र बदाराम जी बंजारा से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच कीमतन क्रय किये गये Packaged Drinking Water (Brand-Rushi) का नमूना संख्या S-2072 खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की विश्लेषण जांच रिपोर्ट क्रमांक:L.S./702/Act/2023/745 दिनांक 01.4.2023 में मिथ्याछाप (Misbranded) व अमानक (Sub-standard) पाया जाने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) व धारा 51 व 52 के तहत प्रस्तुत कर प्रतिवादी पर जुर्माना अधिरोपित करने का अनुरोध किया गया है। प्रस्तुत न्याय निर्णयन आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को विधिवत नोटिस जारी कर तामिल करवाया गया। प्रकरण की सुनवाई के दौरान प्रतिवादी की ओर से अधिवक्ता श्री मनोज रावल उपस्थित हुये एवं प्रतिवादी की ओर से जवाब व बिल की छाया प्रति पेश की। प्रकरण में बहस हेतु नियत तिथि 10.9.2024 को आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी उपस्थित नही हुये। प्रतिवादी के अधिवक्ता श्री मनोज रावल की बहस सुनी गई, जिन्होनें बहस के दौरान जवाब में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि प्रतिवादी किशोर, फर्म बंजारा मिनरल्स, आरासना रोड़, नांदिया के नाम से किराणा का छोटा मोटा व्यवसाय करता है व दुकान में विभिन्न ब्राण्ड की पीने के पानी की पैकींग बोतलें व किराणा का समाना बेचता है व निर्माता कम्पनी से जिस अवस्था में बोतल पैक होकर आती है उसी अवस्था में विक्रय करता है। प्रतिवादी की दुकान से जो Packaged Drinking Water (Brand-Rushi) का नमूना लिया था वह अमानक व मिथ्याछाप पाया गया है जिसमें प्रतिवादी की कोई गलती नही है, क्योंकि प्रतिवादी ने Packaged Drinking Water (Brand-Rushi) को जरिये बिल नंबर 03/1555/2023 दिनांक 04.3.2023 से Rushi Energy, B/H Sonarda Bus stand, Sonarda, Naroda-Dehgam Road, Taluka-Gandhinagar (Guj.) से खरीद की गई थी। प्रतिवादी ने खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 का कोई उल्लंघन नही किया है व न ही बोतलों में किसी प्रकार की मिलावट की है। प्रतिवादी की किराणा की दुकानों में सभी बोतले सीलबंद हालत में कार्टुन में रखी हुई थी तथा किसी भी बोतल की सील टुटी हुई नही था, ऐसी स्थिति में प्रतिवादी द्वारा उसमें किसी प्रकार की कोई मिलावट किया जाना संभव ही नही है। प्रतिवादी न तो उक्त पानी की बोतलों का निर्माता है व न ही सप्लायर, जो माल निर्माता कंपनी से आता है उसी सीलबंद अवस्था में	

......लगातार

न्यायालय प्रति० जिला मजिस्ट्रेट सिरोही (राज०)

प्रति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही-307001.

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Rai Sapela
Date: 2025.07.03 11:03:59 IST
Reason: SelfAttested

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **F.S.S.Act Case No.10/2024**	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामिलमें जारी हुए

बेचता है। उक्त निर्माता कंपनी द्वारा एजेन्सी खोलते समय गुजरात सरकार से अवश्य ही सुरक्षा मानकों का अनुज्ञा पत्र लिया होगा, जो निर्माता कंपनी को पक्षकार बनाये जाने पर ही ज्ञात हो सकता है, लेकिन आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने निर्माता कम्पनी को जानबूझकर पक्षकार नही बनाया है। यदि उक्त पानी की बोतलों में कोई मिलावट है तो उसके लिये निर्माता जिम्मेदार है, न कि प्रतिवादी। इस कारण से प्रतिवादी को किसी भी तरह से दोषी नही ठहराया जा सकता है, न ही उसके विरुद्ध कोई मामला बनता है। यह कि प्रतिवादी की दुकान से जिन पानी की बोतलों का नमूना लिया गया है, उस पर प्रतिवादी की फर्म बंजारा मिनरल्स का लेबल नही होकर उक्त निर्माता कम्पनी का लेबल व नाम लिखा हुआ है जिससे स्पष्ट है कि प्रतिवादी ने सीलबंद अवस्था में निर्माता से उक्त पानी की बोतलें क्रय की है व सीलबंद हालत में ही विक्रय की है। यह कि प्रतिवादी अभियुक्त की दुकान से उक्त पानी की बोतलों के जो नमूने लिये थे उसकी पुनः जांच करवाने हेतु आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी व निर्माता कम्पनी को अपील करने के लिये कोइ सूचना नही दी है। प्रतिवादी एक गरीब व्यक्ति है जो एक छोटे से ग्राम नांदीया में किराणे का व्यापार कर अपना जीवीकोपार्जन करता है। अतः प्रतिवादी के विरुद्ध कार्यवाही समाप्त की जावे।

हमनें सुनी गई बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि श्री दिलीप सिंह यादव, आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 19.3.2023 को समय 5.00 पी.एम. पर मैसर्स बंजारा मिनरल्स, आरासना रोड़, नांदिया, तहसील– पिण्ड़वाडा, जिला– सिरोही पर खाद्य पदार्थो के निरीक्षण हेतु गये। वहां पर खाद्य कारोबारकर्ता व विक्रेता की हैसियत से प्रतिवादी किशोर पुत्र बदाराम जी बंजारा उपस्थित मिलें, जो आम जनता को Packaged Drinking Water (Brand-Rushi) बेचता है। श्री दिलीप सिंह यादव, आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा दुकान के निरीक्षण के दौरान आम जनता के उपयोग आने वाले Packaged Drinking Water (Brand-Rushi) के मिलावट का शक होने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत जांच हेतु नमूना लेने की इच्छा जाहिर करते हुए इसकी सूचना मौके पर प्रतिवादी विक्रेता किशोर पुत्र बदाराम जी बंजारा को गवाह श्री श्रवण सिंह देवड़ा, वाहन चालक, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही के समक्ष प्रपत्र 5ए में भरकर दी व रसीद प्राप्त की। श्री दिलीप सिंह यादव, आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने दुकान के अन्दर बिक्री हेतु उपलब्ध Packaged Drinking Water (Brand-Rushi) के 40 पैकेट (प्रत्येक में 24 पैक्ड बोतलें) (प्रत्येक 500 एम.एल.) में से Packaged Drinking Water (Brand-Rushi) की 24 पैक्ड बोतलें (प्रत्येक 500 एम.एल.) को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच क्रय किये एवं उसकी कीमत राशि रुपये 240/– (अक्षरे रुपये दो सौ चालीस मात्र) प्रतिवादी विक्रेता किशोर पुत्र बदाराम जी बंजारा को नकद अदा कर खरीद रसीद/बिल प्राप्त किया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा Packaged Drinking Water (Brand-Rushi) को चार भागों में करके, लेबल तैयार कर लेबल पर अभिहित अधिकारी, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य

....लगातार

प्रति. जिला परिषद्
सिरोही–307001

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Rai Sapela
Date: 2025.07.03 11:03:59 IST
Reason: SelfAttested

तारिख हुक्म	**हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज** **F.S.S.Act Case No.10/2024**	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामिलमें जारी हुए

अधिकारी, सिरोही) के कोड एवं क्रमांक S-2072, दिनांक, स्थान, Packaged Drinking Water (Brand-Rushi) का नाम आदि अंकित कर उस पर प्रतिवादी विक्रेता के हस्ताक्षर कराये एवं स्वयं श्री दिलीप सिंह यादव, आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये और Packaged Drinking Water (Brand-Rushi) के चारों नमूना भागों पर एक–एक लेबल गोंद से चिपकाया। चारों नमूना भागों को अलग अलग कागज में लपेट कर प्रत्येक नमूना भाग पर अभिहित अधिकारी की हस्ताक्षरयुक्त पेपर स्लिप S-2072 को नियमानुसार गोंद से चिपकाकर प्रत्येक नमूना भाग को नियमानुसार सील चपडी किया व प्रत्येक नमूना भाग पर प्रतिवादी विक्रेता व गवाह के हस्ताक्षर कराये व श्री दिलीप सिंह यादव, आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात् चारों नमूना भागों को श्री दिलीप सिंह यादव, आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कब्जे/जाप्ते में लिया तथा मौका रिपोर्ट तैयार की, जिस पर प्रतिवादी विक्रेता, गवाह व श्री दिलीप सिंह यादव, आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर किये हुए है। तत्पश्चात् श्री दिलीप सिंह यादव, आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय में पॅहुचकर फार्म नम्बर VI की प्रतियां तैयार की व उस पर नमूनें को सील्ड करते समय काम में ली गई सील की छाप अंकित की। नमूना के चारों भागों के साथ फार्म नम्बर VI की एक–एक प्रति लगाकर चारों नमूना भागों को आउटर कवर में बंद किया व नियमानुसार सील चपडी किया तथा फार्म नम्बर VI की की दो–दो प्रतियां दो लिफाफो में अलग–अलग बन्द कर गोंद से चिपकाकर लिफाफों को सील चपडी किया। श्री दिलीप सिंह यादव, आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी स्वयं ने दिनांक 20.3.2023 को नमूनें का एक भाग व फार्म नम्बर 6 का एक सील बन्द लिफाफा खाद्य विश्लेषक, जोधपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की एवं शेष तीन नमूना भाग व फार्म नम्बर 6 का सील बन्द लिफाफा अभिहित अधिकारी (मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही) को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की। इस प्रकार, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि श्री दिलीप सिंह यादव, आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा फर्म बंजारा मिनरल्स, आरासना रोड़, नांदिया, तहसील– पिण्ड़वाडा, जिला– सिरोही में प्रतिवादी किशोर पुत्र बदाराम जी बंजारा से Packaged Drinking Water (Brand-Rushi) की 500–500 एम. एल. की पैक्ड बोतलों को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच क्रय करने की कार्यवाही विधिवत की गई है। प्रकरण में खाद्य विश्लेषक, जोधपुर से Packaged Drinking Water (Brand-Rushi) के नमूना संख्या S-2072 की प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक:L.S./702/Act/2023/745 दिनांक 01.4.2023 में Packaged Drinking Water (Brand-Rushi) का नमूना मिथ्याछाप (Misbranded) व अमानक (Sub-standard) पाया गया। प्रकरण में प्रतिवादी की ओर से Packaged Drinking Water (Brand-Rushi) की पैक्ड बोतलों को Rushi Energy, B/H Sonarda Bus stand, Sonarda, Naroda-Dehgam Road, Taluka-Gandhinagar (Guj.) से क्रय करने के बिल टेक्स इनवोईस 03/1555/2023 दिनांक 04.3.2023 की छायाप्रति प्रस्तुत की है, जिसका

....लगातार

अति. जिला न्यायाधीश
सिरोही–307001.

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Rai Sapela
Date: 2025.07.03 11:03:59 IST
Reason: SelfAttested

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **F.S.S.Act Case No.10/2024**	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामिलमें जारी हुए

अवलोकन करने पर पाया गया कि यह बिल किशन भाई, पिण्ड़वाडा के नाम से है व इस बिल में Packaged Drinking Water (Brand-Rushi) के बैंच नम्बर व ब्राण्ड का नाम अंकित नही है, जबकि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री दिलीप सिंह यादव द्वारा प्रतिवादी से Packaged Drinking Water (Brand-Rushi) से बैंच नंबर A/M-03 की Packaged Drinking Water (Brand-Rushi) (प्रत्येक 500 एम.एल.) का नमूना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत जांच हेतु लिया था। ऐसी स्थिति में, यह तथ्य माना जाने योग्य नही है कि प्रतिवादी किशोर पुत्र बदाराम जी द्वारा Rushi Energy, B/H Sonarda Bus stand, Sonarda, Naroda-Dehgam Road, Taluka-Gandhinagar (Guj.) से उक्त बैंच नम्बर व ब्राण्ड की ही 500–500 एम.एल. की पैक्ड बोतलें क्रय की गई हो। इस प्रकार, प्रकरण में यह तथ्य स्पष्ट है कि प्रतिवादी किशोर पुत्र बदाराम जी बंजारा ने मिथ्याछाप (Misbranded) व अमानक (Sub-standard) Packaged Drimking Water (Brand-Rushi) का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है, जो उक्त अधिनियम की धारा 51 व 52 के तहत जुर्माने योग्य अपराध है।

आदेश

अतः हस्तगत न्याय निर्णयन आवेदन अर्न्तगत धारा 26 की उपधारा 2(ii) व धारा 51 व 52 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 विरुद्ध प्रतिवादी, स्वीकार किया जाकर उक्त अधिनियम की धारा– 51 व 52 के तहत मिथ्याछाप (Misbranded) व अमानक (Sub-standard) Packaged Drimking Water (Brand-Rushi) के विक्रय हेतु प्रतिवादी किशोर पुत्र बदाराम जी बंजारा, जाति–बंजारा, निवासी– भाटवाडा, नांदिया, तहसील– पिण्ड़वाडा, जिला– सिरोही, खाद्य कारोबारकर्ता एवं विक्रेता, फर्म बंजारा मिनरल्स, आरासना रोड़, नांदिया, तहसील– पिण्ड़वाडा, जिला– सिरोही पर राशि रुपये 30,000/– (अक्षरे रुपये तीस हजार मात्र) की शास्ति (Penalty) अधिरोपित की जाती है। साथ ही, प्रतिवादी किशोर पुत्र बदाराम जी बंजारा को आदेशित किया जाता है कि उक्त अधिरोपित शास्ति (Penalty) की राशि राष्ट्रीयकृत बैंक से न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के पक्ष में Crossed Demand Draft जिसका भुगतान सिरोही शहर में प्राप्त किया जा सके बनवाकर न्याय निर्णय अधिकारी एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के कार्यालय में निर्णय की तारीख से 30 दिन के भीतर जमा करवाये। निर्णय सुनाया गया। निर्णय की प्रति संबंधित खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं प्रतिवादी को प्रेषित की जावे। मिसल वास्ते जमा होने जुर्माना राशि डी.डी. आयन्दा दिनांक 16.10.2024 को पेश हो।

(डॉ. दिनेश राय सापेला)

Signature Not Verified

Digitally signed by Dinesh Rai Sapela
Date: 2025.07.03 11:03:59 IST
Reason: SelfAttested